प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01822/2021-2022 दिनांक 25/01/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/PRA/14945/2021-2022 पत्रावली संख्या:AL-22121 दिनांक:2006-2007

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सूर्या शिक्षा एवं जन सहयोग संस्थान, ग्राम पोस्ट पट्टी, प्रतापगढ, 230135** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1006/2006-2007 दिनांक-15/12/2006 को दिनांक-15/12/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
AC43DB175E59C493BAF1E4D3DAA45BDBF18B5D2D
Date: 25/01/2022 5:52:49 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-25/01/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

स्मृति पत्र

संस्था का नाम	:	सूर्या शिक्षा एवं जन सहयोग संस्थान
संस्था का पता	:	ग्राम व पोस्ट – पट्टी जिला – प्रतापगढ़
संस्था का कार्य क्षेत्र	:	सम्पूर्ण ~~प्रान्त~~ (उ० प्र०)

संस्था का का उद्देश्य :

1. कार्यक्षेत्र के समस्त निवासियों तथा कमजोर, पिछडे वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु भारतीय संविधान में वर्णित समस्त प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, महाविद्यालय, व्यवसायिक शिक्षण केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक, पूर्वमाध्यमिक विद्यालय, आँगन वाड़ी केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा इत्यादि की स्थापना व संचालन करना।

2. क्षेत्र के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में खादीग्रामोद्योग, कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवृत्तियों के पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना। हस्तशिल्प सिलाई कढ़ाई , ब्यूटीशियन व हस्तशिल्प को बढ़ावा के लिए समस्त क्रिया कलाप की स्थापना, प्रशिक्षण, प्रचार प्रचार व संचालन करना।

3. कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त लोगो के सामाजिक, आर्थिक, एवं बौधिक विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना व उनका प्रचार प्रसार तथा संचालन कराना।

4. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग, अक्षम, निराश्रित महिला एवं पुरूष तथा बालको के लिए आवास शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार कर उनके हितार्थ सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का संचालन, प्रचार प्रसार करना।

5. अनौपचारिक शिक्षा एवं ज्ञान वर्धन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

6. बेरोजगार महिलाओ एवं पुरूषों को व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर , फल संरक्षण, कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार स्थापना से सम्बन्धित कार्यक्रम की स्थापना व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

7. पर्यावरण, वृक्षारोपण, गैर परम्परागत ऊर्जा के प्रति जागरूकता लाने पर्यावरण व मानव समाज की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार कार्यक्रम करना और कराना समस्त प्रकार के कार्यक्रम हेतु सरकारी विभागो या व्यक्तियों से अनुदान, चन्दा तथा निधि प्राप्त करना।

8. भाईचारा बढ़ाने व समाजिक विकास तथा जीविकोपार्जन हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन , महिला मंडलगठन, कर प्रशिक्षित व जागरूक बनाना

9. दुर्लभ जीव जन्तुओं, पक्षियों, रखरखाव हेतु गौशाला, पक्षी विहार, पर्यटन के क्षेत्र में योजनाओं की स्थापना, संचालन प्रचार प्रसार करना।

10. सरकारी व गैर सरकारी समस्त कार्यकम जैसे पोलियो, एड्स, मातृत्व, पंचायतीराज, सूचना का अधिकार, दहेज, नशाखोरी, ग्रामीण विकास सहकारी समितियां, स्वच्छता अभियान इत्यादि से सबन्धित कार्यक्रम में सहयोग व संचालन करना व कराना।

11. साधारण सभा के द्वारा समय समय पर निश्चित किये गये कार्यों को करना जो संस्था के नियमो तथा उद्देश्यों के अनुसार होगें तथा देश समाज के हित में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत मान्य होगे।

BUMS-81

प्रबन्ध कारणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है –

	क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	आयु वर्ष	पद	पता	व्यवसाय
Radh	1	श्री शिव मंगल पटेल पुत्र श्री राम अवध पटेल	36	अध्यक्ष	ग्राम सरसतपुर पो० [illegible] जिला प्रतापगढ़	चिकित्सा
इन्दु	2	श्रीमती इन्दू पत्नी श्री एस. के. चतुर्वेदी	35	उपाध्यक्ष	ग्राम रामपुर खागल पो. पृथ्वीगंज बाजार पट्टी, जिला प्रतापगढ़।	गृहणी
Phatwal	3	राज कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री जोखूराम चतुर्वेदी	36	सचिव	ग्रा. रामपुर खागल पो. पृथ्वीगंज बाजार पट्टी जिला– प्रतापगढ़	सामाजिक कार्य
ज्योत्सना	4	श्रीमती ज्योत्सना पत्नी आर.के. चतुर्वेदी	36	उप सचिव	ग्राम रामपुर खागल पो. पृथ्वीगंज बाजार पट्टी जिला– प्रतापगढ़	सामाजिक कार्य
Shivmangal	5	डा० राधे श्याम रजक पुत्र श्री राम खेलावन रजक	22	कोषाध्यक्ष	310/12 मह[illegible] इलाहाबाद उ० प्र०	अध्ययन
शिवप्रकाश	6	श्री शिव प्रकाश तिवारी पुत्र श्री अवध कुमार तिवारी	23	सदस्य	ग्राम – अम[illegible] पो. उडैयाडीह जिला – प्रतापगढ़	सामाजिक कार्य
राजेश कुमार	7	श्री राजेश कुमार हरिजन पुत्र श्री सुखदेव हरिजन	19	सदस्य	ग्राम – अर्जुनपुर पोस्ट – बेलाराम पुर जिला– प्रतापगढ़	अध्ययन
मोहम्मद इकराम	8	मो० इकराम पुत्र श्री मो० आयूब	36	सदस्य	मकान न० ३६ आवास विकास कालोनी प्रतापगढ़	व्यापार
गुलाब चन्द्र सरोज	9	श्री गुलाब चन्द्र सरोज पुत्र श्री देव नरायण सरोज	21	सदस्य	ग्राम कोल्हुआ पोस्ट– महराज गंज जिला – जौनपुर	अध्ययन
सुभद्रा	10	श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नी श्री राम करन	42	आजीवन सदस्य	ग्राम – राम पुर खागल पो. पृथ्वीगंज बाजार जिला– प्रतापगढ़ ।	गृहणी
Devi Prasad	11	श्री देवी प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र श्री राम लाल विश्वकर्मा	21	सदस्य	ग्राम – बेसार पोस्ट – पृथ्वीगंज बाजार जिला – जौनपुर	अध्ययन

दिनांक – 25-11-2006

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
इलाहाबाद

हम सभी निम्न हस्ताक्षर कर्ता सोसायटीज पंजीकरण अनिनियम २१, १८६० के अर्न्तगत पंजीयन हेतु उपरोक्त संस्था का गठन किये हैं जिनके पंजीयन हेतु हस्ताक्षर करते हैं।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री शिव मंगल पटेल पुत्र श्री राम अवध पटेल	अध्यक्ष	Shiv mangal
2	श्रीमती इन्दू पत्नी श्री एस. के. चतृर्वेदी	उपाध्यक्ष	Indu
3	राज कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री जोखूराम चतुर्वेदी	सचिव	RChaturvedi
4	श्रीमती ज्योत्सना पत्नी आर.के. चतुर्वेदी	उप सचिव	ज्योत्सना
5	डा० राधे श्याम रजक पुत्र श्री राम खेलावन रजक	कोषाध्यक्ष	Radhe
6	श्री शिव प्रकाश तिवारी पुत्र श्री अवध कुमार तिवारी	सदस्य	शिव प्रकाश
7	श्री राजेश कुमार हरिजन पुत्र श्री सुखदेव हरिजन	सदस्य	राजेश
8	मो० इकराम पुत्र मो० अयूब	सदस्य	मोहम्मद इकराम
9	श्री गुलाब चन्द्र सरोज पुत्र श्री देव नरायण सरोज	सदस्य	गुलाब चन्द्र सरोज
10	श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नी श्री राम करन	आजीवन सदस्य	सुभद्रा
11	श्री देवी प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र श्री राम लाल विश्वकर्मा	सदस्य	Devi Prasad

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स

23/12/08

नियमावली

1. संस्था का नाम : सूर्या शिक्षा एवं जन सहयोग संस्थान

2. संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट – पट्टी
जिला – प्रतापगढ़

3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत 30Y0

4. सदस्यता :

संस्था की सदस्यता दो प्रकार की होगी।

1. आजीवन सदस्य : ऐसे वे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले एवं साफ सुथरी छवि के होंगे एक मुफ्त एक हजार रू. की धनराशि तथा इक्यावन रू. वार्षिक शुल्क प्रदान करेंगे आजीवन सदस्य माने जायेंगे। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

2. साधारण सदस्य : ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यो में रुचि रखते हो तथा किसी प्रकार की जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं राजनीति से सम्बन्ध न रखते हों एक मुस्त 101 देकर प्रति माह 5 रुपये या एक मुस्त 51 रुपये वार्षिक शुल्क प्रदान करेंगें वे साधारण सदस्य माने जायेगें। इनकी उम्र 18 वर्ष से कम न होगी।

5– सदस्यता की समाप्ति :

1- सदस्यता शुल्क का भुगतान न करना।

2- लगातार तीन बैठको में समुचित कारणो के बिना अनुपस्थित रहना ।

3- स्वेछा से त्याग पत्र देना।

4. संस्था के उद्‌देश्यों के विपरीत आचरण करने पर एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधीन सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

5– सदस्य की मृत्यु होने या न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर सदस्यता स्वयं समाप्त मानी जायेगी

6– संस्था के अंग:– 1– साधारण सभा 2– प्रबन्धकारिणी समिति

7- साधारण सभा : उर्पयुक्त दोनो प्रकार के सदस्यों से साधारण सभा बनेगी तथा दोनों को मत देने का अधिकार होगा।

(क) बैठकें व सूचना अवधि : साधारण सभा की बैंठके छमाही होगी जिसके लिए 15 दिन पूर्व तथा आकस्मिक बैठक होने पर 7 दिन पूर्व डाक द्वारा सूचना भेज दी जायेगी।

(ख) कोरम : बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा लेकिन स्थगित बैठक के बाद कोरम की अवश्यकता नहीं मानी जायेगी।

(ग) साधारण सभा का कर्तव्य :

1. प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चयन करना तथा वार्षिक कार्य की स्वीकृत करना

2. अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही व मूल्यांकन करना पदाधिकारियों द्वारा सुझाये गये प्रस्तावों पर निर्णय लेना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन : साधारण सभा निर्वाचन प्रणाली या निम्नलिखित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्य होंगे। कुल योग ग्यारह होगा।

(ब) बैठके व कोरम : प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। बैठक कोरम कुल सदस्य संख्या का <u>2/3</u> होगी।

(स) अवधि : बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी। आपात कालीन बैठक की सूचना 24 घन्टे पूर्व दी जायेगी।

(द) रिक्त पूर्ति एवं कार्य काल : कार्यकारिणी सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सदस्यों मे से शेष काल के लिए की जायेगी। कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

(य) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1. साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों को करना। अनुशासनात्मक कार्यवाही का परीक्षण एवं पुष्टि करना।

2. आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा व बजट तैयार करना तथा आय के श्रोत की खोज करना।

3. संविधान संशोधन हेतु कार्यवाही कर साधारण सभा से स्वीकृत लेना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(क) अध्यक्ष :

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता, अनुमति, अनुमोदन करना और अनुशासन बनाये रखना।

2. हिसाब किताब व अभिलेखों की जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

3. सभी सूचनाओं व निर्देशों को जारी करना एवं प्रशासनिक कार्य करना।

(ख) उपाध्यक्ष

अध्यक्ष के कार्य में सहायता करना व उनकी अनुपस्थिति समस्त दायित्व का निर्वहन करना।

(ग) सचिव :

1. संस्था के नियमों के तहत समस्त बैठक बुलाने, रिकार्ड व कार्यवाही को लिखना व सूचना देना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

इन्दु
ज्योतिमा
Shiv mangal
शिवकुमारी
Phatmal
राजेश मिश्र
मोहम्मद उस्मान
गुलाब चन्द्र सरोज
सुभद्रा
Devi Prasad

2. संस्था के समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पत्राचार करना, वेतन व अन्य खर्च के बिल पास करना।

3. कार्यक्रमो का प्रस्ताव बनाना, मूल्यांकन तथा रिपोर्ट तैयार करना और समस्त प्रबन्धकीय कार्य करना।

(घ) उप सचिव :

सचिव के कार्य में सहयोग व उनकी अनुपस्थिति में समस्त कार्य करना।

(ङ) कोषाध्यक्ष :

1. कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व वातावरण का निर्माण करना।

2. कोष का रखरखाव व सचिव की अनुमति से अन्य कार्य करना।

10. संविधान में संशोधन :

विधान में संशोधन का अधिकार साधारण सभा के संस्थापक व साधारण सदस्यों को होगा जो इस कार्य हेतु बुलाई गयी बैठक में 2/3 बहुमत से पारित होगा।

11. संस्था को कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखा जायेगा। अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष अथवा अधिकृत कार्यकारिणी सदस्य के हस्ताक्षर से रूपया निकाला जायेगा।

12. लेखा परीक्षण :

कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष कोष का आडिट होगा।

13. न्यायालय अधिकार :

कानूनी झगडों के सम्बन्ध में संस्था का प्रतिनिधित्व सचिव करेगा एवं अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। न्यायालय प्रतापगढ़ जनपद होगा।

14. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता व कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैस बुक, कार्यवाही रजिस्टर, आय व्यय रजिस्टर

2. स्मृति पत्र व नियमावली, पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां।

3. डिस्पैच रजिस्टर इत्यादि।

15. संस्था का विघटन :

संस्था का विघटन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अधीन होगा।

16. विवाद एवं निर्णय :

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर साधारण सभा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

17. ऋण व अनुदान :

संस्था को जो भी ऋण / अनुदान केन्द्र व प्रदेश शासन, सहकारी संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, अर्द्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त होगें उनका उत्तरदायित्व संस्था के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों का सामूहिक होगा तथा समस्त पत्राचार सचिव व उप सचिव ही करेगे।

18. नियम व उप नियम बनाना व परिवर्तन करना :

संस्था को साधारण सभा की अवश्यकतानुसार अपने नियम व उपनियम बनाने व परिवर्तित करने का अधिकार होगा किन्तु साधारण सभा के <u>2/3</u> सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी।

19. वार्षिकोत्व :

संस्था का प्रति वर्ष वार्षिकोत्व किसी भी राष्ट्रीय पर्व व सामान्यतः 2 अक्टूबर को गाँधी जयन्ती के अवसर पर होगा।

Devi Prasad

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक